



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012022-232661
CG-DL-E-15012022-232661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]
No. 186]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2022

का.आ. 190(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 31 अगस्त 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3537(अ), तारीख 31 अगस्त 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "अमर उजाला" और "दैनिक जागरण" में तारीख 11 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा उन पर विचार किया गया, और तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: औरैया

क्रम सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेअर में	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिधूना	सूखमपुर	227	निजी	कृषि	0.0060	सुन्दरलाल पुत्र छोटेलाल।
			220	निजी	कृषि	0.0546	मुन्नूलाल, महेशचन्द्र, उमेशचन्द्र पुत्रगण रामनाथ।
			219	निजी	कृषि	0.0020	रामप्रकाश, रमाकान्त पुत्रगण भारत सिंह, अमर सिंह पुत्र मिट्ठू।
			217	निजी	कृषि	0.0195	रामबाबू, तुलाराम पुत्रगण कुन्जीलाल, बेचेलाल, गोरेलाल, मान सिंह पुत्रगण रामभरोसे।
			166	निजी	कृषि	0.0855	अख्तर अली नाबा0 उम्र 14 वर्ष पुत्र छोटे अली, मु0 अनवरी बेगम पत्नी छोटे अली, जन्तर अली पुत्र मुहम्मद अली, अब्दुल सलाम, पप्पू, मुहम्मद अहमद पुत्रगण नवाब अली, युसुफ अली पुत्र यूनिस अली।
			252मि0	निजी	कृषि	0.0120	कृष्ण कुमार, श्री नारायण, जगत नारायण पुत्रगण परमू, सत्यवती पत्नी सर्वेश कुमार, शोभा कुमारी पुत्री सर्वेश कुमार, सिवाती कुमारी पुत्री सर्वेश कुमार ना0बा0 उम्र 17 वर्ष संर0 मां सत्यवती, ओम प्रकाश पुत्र छोटेलाल, मुस0 माया देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल।
			258मि0	निजी	कृषि	0.0396	रामगोपाल, बलराम पुत्रगण मदनलाल, सुधीर कुमार, बृजेन्द्र कुमार, नीरज कुमार पुत्रगण राधेश्याम, वीरेश कुमार, धीरेश कुमार पुत्रगण देवलाल।
			174मि0	निजी	कृषि	0.0157	मुन्नूलाल, महेशचन्द्र, उमेशचन्द्र पुत्रगण रामनाथ।
			221	निजी	कृषि	0.1538	रामप्रकाश, रमाकान्त पुत्रगण भारत सिंह, अमर सिंह पुत्र मिट्ठू।
			223	निजी	कृषि	0.0089	श्री कृष्ण पुत्र प्यारेलाल।
			357	निजी	कृषि	0.1624	श्री कृष्ण, देवचन्द्र, त्रिभुवन सिंह पुत्रगण रामदयाल, नरायण सिंह, जगपाल सिंह पुत्रगण बाबूराम, इन्द्रजीत, सुखवीर नाबा0 उम्र 16 वर्ष पुत्रगण राजकुमार संर0 गंगाश्री मां, गंगाश्री पत्नी राजकुमार।
			226	निजी	कृषि	0.0070	सुन्दरलाल पुत्र छोटेलाल, अशोक कुमार, अजय कुमार पुत्रगण अहिवरन, मुन्नू बाबू, छुन्नू बाबू पुत्रगण रामसेवक।
			257	निजी	कृषि	0.0624	ओम प्रकाश पुत्र रामकिशुन, रामऔतार पुत्र वंशीधर।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2261]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2022

S.O. 190(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3537 (E), dated the 31st August, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st August, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Amar Ujala” and “Dainik Jagran” dated the 11th September, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

DISTRICT: AURAIYA

Sl. No.	Name of the Taluka	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in hectares	Name of the land owner/ interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	Bidhuna	Sukhampur	227	Private	Agricultural	0.0060	Sundar Lal S/o Chhote Lal.
			220	Private	Agricultural	0.0546	Munnu Lal, Mahesh Chandra, Umesh Chandra S/o Ramnath.
			219	Private	Agricultural	0.0020	Ram Prakash, Ramakant S/o Bharat Singh, Amar Singh S/o Mitthu.
			217	Private	Agricultural	0.0195	Rambabu, Tularam S/o Kunji Lal, Beche Lal, Gore Lal, Maan Singh S/o Rambharose.
			166	Private	Agricultural	0.0855	Akhtar Ali Minor Year 14 S/o Chhote Ali, Mu. Anwari Begum W/o Chhote Ali, Jantar Ali S/o Muhammad Ali, Abdul Salaam, Pappu, Muhammad Ahmad S/o Nawab Ali, Yusuf Ali S/o Yunis Ali.

			252fe0	Private	Agricultural	0.0120	Krishna Kumar, Shri Narayan, Jagat Narayan S/o Parmu, Satyawati W/o Sarvesh Kumar, Shobha Kumari D/o Sarvesh Kumar, Siwati Kumari D/o Sarvesh Kumar Minor Year 17 Gur.Mother Satyawati, Om Prakash S/o Chhote Lal, Mu. Maya Devi W/o Late Chhote Lal.
			258fe0	Private	Agricultural	0.0396	Ram Gopal, Balram S/o Madan Lal, Sudhir Kumar, Brijendra Kumar, Neeraj Kumar S/o Radheshyam, Viresh Kumar, Dhiresk Kumar S/o Dev Lal.
			174fe0	Private	Agricultural	0.0157	Munnu Lal, Mahesh Chandra, Umesh Chandra S/o Ramnath.
			221	Private	Agricultural	0.1538	Ram Prakash, Ramakant S/o Bharat Singh, Amar Singh S/o Mitthu.
			223	Private	Agricultural	0.0089	Shri Krishna S/o Pyare Lal.
			357	Private	Agricultural	0.1624	Shri Krishna, Dev Chandra, Tribhuwan Singh S/o Ram Dayal, Narayan Singh, Jagpal Singh S/o Baburam, Indrajeet, Sukhveer Minor Year 16 S/o Rajkumar Gur.Mother Ganga Shri Maa, Ganga Shri W/o Rajkumar.
			226	Private	Agricultural	0.0070	Sundar Lal S/o Chhote Lal, Ashok Kumar, Ajay Kumar S/o Ahiwaran, Munnu Babu, Chhunnu Babu S/o Ram Sewak.
			257	Private	Agricultural	0.0624	Om Prakash S/o Ramkishun, Ram Avtar S/o Banshidhar.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2261]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)